BY SPEED POST

भारतीय संसद
PARLIAMENT OF INDIA
राज्य सभा सचिवालय
RAJYA SABHA SECRETARIAT

टेलीग्राम : "परिषद"
फैक्स :
दूरभाष :
वेबसाईट : http://rajyasabhahindi.nic.in
ई-मेल :
संसद भवन/संसदीय सौध,
नई दिल्ली-110001

Telegram : "PARISHAD"
Fax :
Telephone :
Website : http:// rajyasabha.nic.in
E-mail :
Parliament House/Annexe,
New Delhi-110001

सं.आरएस.2(171)/2014-आर.टी.आई.

दिनांक 6 मार्च, 2014

प्रेषक

संजीव चन्द्रा
संयुक्त निदेशक (आर.टी.आई.)

सेवा में

श्री [illegible] चौहान,
संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी/ सेंट्रल प्वाइंट,
गृह मंत्रालय, कमरा संख्या -194, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली -110001.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन श्री उदित कुमार खंडेलवाल के आवेदन का अंतरण।

महोदय,

इस सचिवालय को श्री उदित कुमार खंडेलवाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन दायर किया गया दिनांक 'शून्य' का एक आवेदन (28 फरवरी, 2014 को प्राप्त) प्राप्त हुआ है। आवेदन की विषय-वस्तु गृह मंत्रालय से संबंधित प्रतीत होती है। अतः, इस आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के उपबंधों के अनुसार इस अनुरोध के साथ आपको अंतरित किया जा रहा है कि इस सचिवालय को सूचित करते हुए आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दी जाए। आवेदन की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस पत्र की एक प्रति आवेदक को यह इंगित करने के लिए पृष्ठांकित की जा रही है कि इस मामले में आपके द्वारा उत्तर दिया जाएगा।

आवेदक द्वारा 10/- रुपए की आवेदन शुल्क राशि का भुगतान कर दिया गया है।

भवदीय,

(संजीव चन्द्रा)
दूरभाष: 2303 [illegible]

216(R)
28-2-14

RS/2(171)/2014-RTI

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सूचना के अधिकार के अंतर्गत 10/- का चैक सं 154815 (संलग्न है)

मान्यवर

प्रार्थी को निम्न जानकारी उपलब्ध करावें।

1. सन 1954-55 में यानी 15 अगस्त 1955 के सत्याग्रह कर्ताओं की जो लिस्ट महाराष्ट्र सरकार के पास है वह मान्य है या नहीं

2. 1990-91 में गोवा के अन्दर सरकार सत्याग्रह कर्ताओं को स्वतंत्रता सैनानी का दर्जा दिया गया था उसमें क्या उपनियम जोड़े गए थे की मिनट बुक की कापी।

प्रार्थी
उदेश कुमार खण्डेलवाल
S/o दिनेश कुमार खण्डेलवाल
13/204 हलवा मदन नाईकी मंडी
आगरा

CPIO- On leave.

473
28/2/14

JD(RTI) 28/2/14

St. No. 2 (i)

कृपया जारी करें। 8-4-14

स्पीड पोस्ट (4)

संख्या आर.टी.आई / 05 / 2014–एफ.एफ.डब्ल्यू.जेड.

प्राप्ति एवं प्रेषण अनु०

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
स्वतंत्रता सेनानी विभाग
डब्ल्यू.जेड. अनुभाग

जयसिंह रोड़, एन डी सी सी–II बिल्डिंग,
नई दिल्ली–110001, दिनांक 3 अप्रैल, 2014

ISSUED 4 APR 2014

04 APR 2014

सेवा में,

श्री उदिंत कुमार खण्डेलवाल,
पुत्र श्री दिनेश कुमार खण्डेलवाल,
13/204 हल्का सदन नाई की मण्डी
आगरा (उत्तर प्रदेश)

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना हेतु आवेदन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपका पत्र दिनांक शून्य जो जनसूचना अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली को प्रेषित है, इस विभाग को दिनांक 25.03.2014 को प्राप्त हुआ। इस आवेदन में आपने दो प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया है जिनका उत्तर निम्न प्रकार से हैः–

प्रश्न–1 सन 1954–55 में यानी 15 अगस्त 1955 के सत्याग्रह कर्ताओं की जो लिस्ट महाराष्ट्र सरकार के पास है वह मान्य है या नहीं	उत्तरः इस संबध में यह स्पष्ट किया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास उपलब्ध सूची की मान्यता के संबंध में यथोचित सूचना राज्य सरकार द्वारा ही दी जा सकती है। इसलिए राज्य सरकार को आपके आवेदन की एक प्रति यथोचित उत्तर देने हेतु हस्तांतरित की जा रही है। भविष्य में इस संबध में आप राज्य सरकार से सीधा संपर्क कर सकते है।
प्रश्न–2 1990–91 में गोवा के अंदर जाकर सत्याग्रह–कर्ताओं को स्वतंत्रता सैनानी का दर्जा दिया गया था उसमें क्या उपनियम जोड़े गए थे की मिनट बुक की कापी।	उत्तर भारत सरकार ने स्वतंत्रता सम्मान पेंशन योजना हेतु कोई अधिनियम व नियमावली जारी नहीं की है । अतः उप–नियम का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हो तो इस विभाग में श्री के.के पाठक, संयुक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी–II बिल्डिंग, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली–110001 को 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार गोयल)
उप–सचिव एवं सी.पी.आई.ओ.
दूरभाषः 23438076

O/c

प्रतिलिपी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुम्बई–400032.